राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	मामचन्द बनाम भवानी सहाय हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/10/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 16/10/2025 को पेश हो।	
16/10/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. भवानी सहाय ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा मय दावा रिकार्ड दुरुस्ती एवं घोषणात्मक का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार विस्तृत निर्णय दिनांक 17/01/2014 पारित करते हुये वादीगण/रेस्पो. का वाद आंशिक डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 741, 731/1041, 762/1058 का खातेदार काश्तकार घोषित करते हुये मूली बेवा सुलतान का नाम हजफ किये जाने एवं शेष दावे को प्रतिवादी के विरुद्ध ख़ारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण ने इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी मौखिक बहस की। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य का तनकीवार विस्तृत परिक्षण/विवेचन करते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी जाहिर नही होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 17/01/2014 में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 17/01/2014 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दख़ल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16/10/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	